बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
संकल्प

संख्या–3प / लेखापाल–20–01 / 2023 / 4883 पं०रा०, पटना,दिनांक–03/05/2023

विषयः– पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 द्वारा प्रति चार पंचायतों पर एक की दर से कुल 2096 लेखापाल–सह– आई०टी० सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक–एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक–एक तथा प्रत्येक जिला परिषद् के लिए दो–दो लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक (संविदा आधारित) के पदों के प्रावधान की स्वीकृति एवं इस प्रकार पूर्व से सृजित 2096 लेखापाल–सह– आई०टी० सहायक के संविदा आधारित पदों के अतिरिक्त 6570 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन से संबंधित लेखाओं के संधारण एवं समयबद्ध तकनीकी विशिष्टताओं के आधार पर रिपोर्टिंग हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 के अधीन कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के स्वीकृत पदों पर संविदा आधारित नियोजन की कार्रवाई विभागीय निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियोजन इकाई द्वारा की गयी है।

2. वर्त्तमान में पंचायती राज विभाग के अधीन भिन्न–भिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का आगामी पाँच वर्षों तक अनुरक्षण सहित विभाग द्वारा पंचायत सरकार भवन, सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, जल–जीवन हरियाली मिशन के तहत कुओं का जीर्णोद्धार तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व निर्धारित किया गया है। इनके माध्यम से पंचायतों में क्रियान्वित योजनाओं का ससमय दक्षता आधारित लेखाओं

लगातार.......

(65)

का संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया जाना है। ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग तथा राज्य योजना मद से राशि उपलब्ध करायी जाती है। ग्राम पंचायतों में ली जाने वाली योजनाओं का वार्षिक औसत संख्या लगभग 100 योजनाएँ होती है। उन सभी योजनाओं का ससमय लेखांकन कार्य कराना, अंकेक्षण कार्य तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है। पंचायत सचिव के पास जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, अनुग्रह अनुदान, मनरेगा, सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं सूचना का अधिकार इत्यादि कार्य होते हैं, जिस कारण लेखांकन/अंकेक्षण जैसे कार्य ससमय निष्पादन नहीं हो पाते हैं। जबकि कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के पास पंचायत सरकार भवन के कार्यालय के रूप में संचालित करने, जल–जीवन हरियाली योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कुओं का जीर्णोद्धार, योजना की ऑनलाईन रिर्पोटिंग, योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अनुश्रवण, ई–ग्राम स्वराज पर योजनाओं का अपलोड किया जाना एवं PFMS इत्यादि से संबंधित कार्य है।

3. विभागीय योजनाओं के लेखाओं का संधारण, समयबद्ध सूचना एवं प्रावैधिकी आधारित रिपोर्टिंग का दायित्व लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक को आवंटित रहने के कारण इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत निश्चय सॉफ्ट में विभाग की सभी योजनाओं का विस्तृत विवरण डाला गया है, जिसमें अभिलेखों की अंतिम जाँच, रॉयल्टी एवं जी०एस०टी० की कटौती, वॉउचरों का एक MB एवं अभिलेखों से मिलान, मास्टर रॉल का अपलोडिंग इत्यादि का काम लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक को आवंटित है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि विभागीय योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन एवं समयबद्ध सूचना एवं प्रावैधिकी आधारित प्रतिवेदनों के प्रेषण हेतु प्रत्येक पंचायतों में एक–एक लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों का संविदा आधारित नियोजन विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 को संशोधित कर प्रत्येक चार पंचायतों की जगह, प्रत्येक पंचायत पर मान्य होंगे। सभी पंचायत समिति में योजनाओं का अनुश्रवण हेतु लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के एक–एक पद मान्य होंगे। जिला परिषद् में भी विभागीय योजनाएँ अधिक होने के कारण दो–दो अतिरिक्त पद लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मान्य होंगे। साथ ही उपरोक्त संकल्प में वर्णित योग्यताधारी प्रक्रम में अतिरिक्त योग्यता को जोड़ते हुए Inter C.A. की विशिष्टता

को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित शर्त्तों के अधीन संविदा आधारित नियोजन किया जाएगा।

4. पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 में दिये गये प्रावधान के आधार पर लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी० कॉम होगी। बी० कॉम में प्राप्त प्रतिशत अंक इस प्रयोजनार्थ अंक माने जायेंगे। बी० कॉम के उपरांत एम० कॉम/सी०ए० (इंटर) करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस दिया जायेगा। Inter C.A. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। बी० कॉम में प्राप्त अंकों तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जायेगी। चयनित कर्मियों को 3 माह में कम्प्यूटर दक्षता MS Word, Excel, Tally इत्यादि में दक्षता प्राप्त करनी होगी।

5. लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के मूल दायित्व संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 की कंडिका–19 में अन्तर्निहित है, जो निम्नवत हैं:–

(i) सम्बद्ध ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(ii) अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।

(iii) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।

(iv) ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।

(v) अंकेक्षण सम्पन्न कराना।

(vi) सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।

(vii) e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।

(viii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को भी सम्पन्न कराना।

लगातार.......

6. लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के अतिरिक्त सृजित पद के मानदेय के भुगतान पर वार्षिक अनुमानित व्यय का आकलन निम्नवत् है:–

क्र० सं०	**पद का नाम**	**सृजन हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पदों की संख्या (संविदा आधारित)**	**मासिक मानदेय**	**प्रस्तावित पदों के मानदेय हेतु वार्षिक अनुमानित व्यय**
1.	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक (प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक–एक)	5961	₹20,000.00	₹1,43,06,40,000.00
2.	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक (प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक–एक)	533	₹20,000.00	₹12,79,20,000.00
3.	लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक (प्रत्येक जिला परिषद् के लिए दो–दो)	76	₹20,000.00	₹1,82,40,000.00
	कुल	**6570**		**₹1,57,68,00,000.00**
				कुल :–(एक अरब सन्तावन करोड़ अड़सठ लाख रुपये) मात्र

उक्त आधार पर संविदा आधारित नियोजित किये जाने वाले कर्मियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 से प्रतिवर्ष **₹1,57,68,00,000.00** (एक अरब सन्तावन करोड़ अड़सठ लाख रुपये) मात्र की अतिरिक्त राशि का व्यय संभावित है।

राशि की व्यवस्था राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को अनुदान मद में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

लगातार.......

7. पंचायती राज विभाग के विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–4046, दिनांक–25.07.2018 द्वारा प्रति चार पंचायतों पर एक की दर से कुल 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के स्वीकृत पद के स्थान पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक–एक, प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक–एक तथा प्रत्येक जिला परिषद् के लिए दो–दो लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक (संविदा आधारित) के पदों के प्रावधान मान्य होंगे। इस प्रकार पूर्व से सृजित 2096 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के संविदा आधारित पदों के अतिरिक्त 6570 लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक अर्थात लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के कुल 8666 पद संविदा आधारित मान्य होंगे।

8. संपूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा चयन की प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं उचित प्रबंधन हेतु समय–समय पर उचित दिशा–निर्देश जारी किया जा सकेगा।

9. उपर्युक्त प्रस्ताव में संचिका संख्या–3प/लेखापाल–20–01/2023 में दिनांक–02.05.2023 को मद संख्या–02 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प/लेखापाल–20–01/2023/4883/पं०रा०दिनांक–03/05/2023
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

लगातार.......

(61)

ज्ञापांकः–3प/लेखापाल–20–01/2023/...4883.../पं०रा०दिनांक–03/05/2023

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प/लेखापाल–20–01/2023/...4883.../पं०रा०दिनांक–03/05/2023

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, बिहार/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी प्राचार्य, जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य, मुखिया, सरपंच प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सूचनार्थ अग्रसारित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प/लेखापाल–20–01/2023/...4883.../पं०रा०दिनांक–03/05/2023

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–3प/लेखापाल–20–01/2023/...4883.../पं०रा०दिनांक–03/05/2023

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

लगातार......

ज्ञापांकः–3प / लेखापाल–20–01 / 2023 / 4883 / पं०रा०दिनांक–03 / 05 / 2023
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभाग के सभी पदाधिकारियों तथा सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव